

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266939
SG-DL-E-15102025-266939असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2025/ आश्विन 18, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 276
No. 48]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ ASVINA 18, 1947	[N. C. T. D. No. 276

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2025

सं. 84/नियम/दि.उ.न्या.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7 सहपठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 तथा लेटर पेटेंट के खंड 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड 5, अध्याय 5 के भाग ए में निम्नलिखित संशोधन सहर्ष करता है:

संशोधन

निम्नलिखित स्पष्टीकरण को दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवम् आदेश, खंड-5, अध्याय-5 के भाग- ए के मौजूदा नियम 2 के तुरंत बाद शामिल किया जाएगा:

“स्पष्टीकरण: आपराधिक मामलों में ‘पक्षकार’ शब्द में वादी और/या पीड़ित को सम्मिलित माना जाएगा, जैसाकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 (वाई) (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (डब्ल्यूए)) में परिभाषित है।”

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महा निबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 10th October, 2025

No. 84/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 read with Article 225 of the Constitution of India, Clause 27 of Letters Patent and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendment in Part A of Chapter 5 of Volume V of the Delhi High Court Rules & Orders :-

AMENDMENT

THE FOLLOWING EXPLANATION SHALL BE INSERTED IMMEDIATELY AFTER THE EXISTING RULE 2 OF PART A OF CHAPTER 5 OF VOLUME V OF THE DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :-

“Explanation : In criminal cases, the term ‘parties’ shall be deemed to include the complainant and / or victim as defined under Section 2 (y) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 2 (wa) of the Code of Criminal Procedure, 1973).”

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General